भारतीय परिप्रेक्ष्य में तीर्थाटन, विरासत संरक्षण और समावेशी शिक्षा

डॉ प्रेम सिंह सिकरवार,
सहायक प्रोफेसर, शिक्षापीठ,
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली–110016

सारांशिका

भारत में प्राचीन समय से ही तीर्थाटन और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण राजाओं, जागीरदारों, सेठों और समाजसेवियों के द्वारा किया जाता रहा है। आजादी के बाद भी उसी प्रकार उन तीर्थों और विरासतों का संरक्षण हो रहा है तथा कुछ संरक्षण के अभाव में महत्वपूर्ण विरासत स्थल अपना अस्तित्व भी खो चुके थे। इसलिए भारत सरकार ने तीर्थाटनों और विरासत स्थलों के संरक्षण के लिए महत्त्वपूर्ण प्रयास किए तथा संविधान द्वारा महत्वपूर्ण तीर्थाटन और विरासत स्थलों के संरक्षण हेतु नियम तथा प्रावधानों को लागू किया गया, जिससे इनका संरक्षण तथा सुरक्षा मिल सके। इसके लिए भारतीय संविधान की सूचियों में महत्त्वगूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान की संघ सूची की मद संख्या सडसठ (67), राज्य सूची की मद संख्या बारह (12) तथा संविधान की समवर्ती सूची की मद संख्या चालीस (40) भारतीय विरासत संरक्षण से संबंधित हैं। भारतीय तीर्थाटन की विरासत की विशाल धरोहर भंडार को वैश्विक स्तर पर इसकी अनूठी सांस्कृतिक पहचान के एक महत्त्वपूर्ण अंग के रूप में चिह्नित किया गया है। न केवल वर्तमान समय में विरासत संरक्षण और परिरक्षण को लेकर जनसामान्य जागरूक हैं अपितु केन्द्र एवं राज्य सरकारें तीर्थाटन को लेकर बहुत ही गम्भीरता से कार्य कर रही हैं। परन्तु केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा इन विरासतों के संरक्षण व रखरखाव पर होने वाले वित्तीय प्रबन्धन की व्यवस्था करना बहुत कष्टकर है। तीर्थाटन और विरासत संरक्षण हेतु सरकारी प्राधिकार द्वारा धन की कमी प्रमुख चुनौती बनी हुई है।

समावेशी शिक्षा उस शिक्षा को कहते हैं जिसमें सामान्य विद्यालय में बाधित एवं सामान्य बालकों को एक ही साथ रख कर शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया जाता है। समावेशी शिक्षा अपंग बालकों की शिक्षा सामान्य स्कूल तथा सामान्य बालकों के साथ कुछ अधिक सहायता प्रदान" करने की ओर इंगित करती है। यह शारीरिक तथा मानसिक रूप से बाधित बालकों को सामान्य बालकों के साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा प्राप्त करना विशिष्ट सेवाएँ देकर विशिष्ट आवश्यकताओं के प्राप्त करने के लिए सहायता करती है। इस ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और तकनीकी दक्षता वाले 21वीं सदी के भारत की अस्मिता और उसके विश्व गुरू बनने की प्रक्रिया एक सत्त् एवं समावेशी शिक्षा के माध्यम से सम्भव हो सकेगी। इस सन्दर्भ में भारत की नई शिक्षा नीति 2020 महत्वपूर्ण कदम साबित होने जा रही है। शिक्षा मानवीय क्षमताओं के विकास का प्रमुख साधन हैं। शिक्षा के माध्यम से एक समावेशी एवं न्याय संगत समाज का निर्माण करके राष्ट्र का सत्त, संतुलित और सम्पोषणीय विकास सुनिश्चित किया जाता हैं। सुशिक्षित व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की प्रगति का संवाहक होता है, जबकि अशिक्षित या अर्ध–शिक्षित व्यक्ति राष्ट्रीय विकास में बाधक बन रहे हैं।

भारत की प्राचीन ज्ञान परम्परा और आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली (प्रतीची एवं प्राची) के संगम के साथ नई शिक्षा नीति 2020 वैश्विक पटल पर भारत की मजबूत उपस्थिति दर्ज काने में सफल साबित होगी। एक समय था, जब भारतवर्ष की समग्र शिक्षा प्रणाली का डंका पूरे विश्व में बजता था। भारत में ज्ञानार्जन हेतु दूर–दूर से लोग आया करते थे। उत्तर में तक्षशिक्षा, पूर्व में नालंदा और विक्रमशिला, सौराष्ट्र में वल्लभी तथा दक्षिण में कांथालूरसाला ऐसे संस्थान रहे हैं, जिनमें डिग्रीधारी नहीं, बल्कि ज्ञानवान, विवेकी, साहसी, संतोषी, उद्यमी और आत्मनिर्भरवादी पथ तैयार किये जाते थे और विभिन्न विषयों पर गहन अनुसन्धान होते रहते थे। आज भी वैसा ही प्रयास अपेक्षित है।

मुख्य बिन्दु : भारतीय, तीर्थाटन, विरासत संरक्षण, समावेशी शिक्षा।

प्रस्तावना : भारत के पास एक समृद्ध धरोहर (Heritage) रही है जो पुरातात्त्विक संपत्तियों और आश्चर्यजनक स्मारकों का भंडार है। वे सभ्यता की एक अद्वितीय विरासत का प्रतिनिधित्त्व करती हैं और इसलिये निर्मित धरोहर (built heritage) के संरक्षण को आमतौर पर समाज के दीर्घकालिक हित में माना जाता है। लेकिन भारत के अधिकांश स्थापत्य धरोहर (architectural heritage) और स्थल अज्ञात तथा काफी हद तक असंरक्षित बने रहे हैं और जो संरक्षित हैं, वे भी जलवायु परिवर्तन एवं असंवहनीय पर्यटन अभ्यासों से संबद्ध चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इस परिदृश्य में, भारतीय धरोहर से संबंधित मुद्दों को सावधानी से चिह्नित किया जाना चाहिये और व्यापक तरीके से इसका समाधान किया जाना चाहिये।

तीर्थाटन एवं विरासत संरक्षण में कार्य करने वाले संगठन और संस्थाएँ संबंधित कार्य में विशेषज्ञता नहीं रखने वाले व्यवसायों को विरासत स्थलों के रख–रखाव की अनुमति देने से उनके ऐतिहासिक महत्त्व के खोने की समस्या देखी जा सकती है। तीर्थाटन को प्राचीन समय में राज्याश्रय प्राप्त था और भारत के राजाओं ने अपने राज में अनेक किलें, मन्दिर, महल, विद्यालय, आश्रम, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, तालाब, सरोवर, बाबडी, नहर, बुर्ज, सराय, बाग–बगीचे बनाकर प्रजा का पालन किया। अतीत की ये धरोहरें संरक्षण के अभाव में या पुनरूद्धार के अभाव में मानव जीवन और जीव–जन्तुओं को लिए जोखिम उत्पन्न कर रही हैं। इन विरासत स्थलों को धरोहर की संज्ञा दी गई है हमारी धरोहर हमारा गौरव है और ये हमारे इतिहास–बोध को मूर्त स्वरूप प्रदान करते हैं।

विरासत : विरासत (Heritage) से तात्पर्य उन इमारतों, कलाकृतियों, संरचनाओं, क्षेत्रों और परिसरों से है जो ऐतिहासिक, सौंदर्यवादी, वास्तुशिल्प, पारिस्थितिक या सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।

- यह चिह्नित किया जाना चाहिये कि किसी विरासत स्थल के आसपास का 'सांस्कृतिक सुदृश्य' (cultural landscape) इस स्थल की निर्मित धरोहर की व्याख्या के लिये महत्त्वपूर्ण है और इस प्रकार यह इसका अभिन्न अंग है।
- किसी संपत्ति को विरासत के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिये जिन तीन प्रमुख अवधारणाओं पर विचार किया जा सकता है, वे हैं–
  (क) ऐतिहासिक महत्त्व
  (ख) ऐतिहासिक अखंडता
  (ग) ऐतिहासिक प्रसंग
- भारत में धरोहर के अंतर्गत पुरातात्त्विक स्थल, अवशेष, खंडहर आदि शामिल किये जाते हैं।देश में 'स्मारकों और स्थलों' के प्राथमिक संरक्षक के रूप में भारतीय पुरातत्त्व पुरातव सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India & ASI) और उनके समकक्ष अपनी भूमिका निभाते हैं।

भारत की सांस्कृतिक पहचान को अपनाने में उसकी समृद्ध धरोहर की क्या भूमिका है?

- भारतीय इतिहास के कथावाचक धरोहर भौतिक कलाकृतियों और अमूर्त विशेषताओं की एक विरासत है जो पीढ़ियों से चली आ रही है, उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है, संरक्षित है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित हुई है।
- धरोहर आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक महत्त्व के साथ भारतीय समाज के ताने–बाने में रची–बसी है।
- विविधता को अपनाना भारत की धरोहर अपने आप में विभिन्न प्रकारों, समुदायों, रीति–रिवाजों, परंपराओं, धर्मों, संस्कृतियों, आस्थाओं, भाषाओं, जातियों और सामाजिक व्यवस्थाओं का एक संग्रहालय है।
- सहिष्णु प्रकृति भारतीय समाज ने प्रत्येक संस्कृति को समृद्ध होने का अवसर दिया है जो इसकी विविध धरोहर में परिलक्षित होता है। यह एकरूपता के पक्ष में विविधता को दबाने का प्रयास नहीं करता है।

विरासत संरक्षण सम्बद्ध विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय

- संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (United Nations Educational] Scientific and Cultural Organization& UNESCO)
- अवैध आयात, निर्यात, और, सांस्कृतिक संपत्ति के स्वामित्त्व के हस्तांतरण, पर रोक एवं निषेध हेतु उपायों के लिये अभिसमय, 1977 (Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import] Export and Transfer of Ownership of Cultural Property] 1977).
- अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिये अभिसमय, 2005 (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage] 2005)
- सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों की विविधता के संरक्षण और संवर्द्धन, पर, अभिसमय, 2006 (Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions] 2006).
- संयुक्त राष्ट्र विश्व धरोहर समिति (United Nations World Heritage Committee) भारत को वर्ष 2021–25 की अवधि के लिये इस समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है।

भारत में विरासत संरक्षण संबद्ध प्रमुख चुनौतियाँ

(क) प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन : हमारे धरोहर स्थलों के समक्ष प्रदूषण एक प्रमुख समस्या है और भारत अभी भी अपने 'वंडर' ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिये संघर्षरत है।

- अभी हाल में देश के विभिन्न हिस्सों में जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़ा है जिससे कई प्रमुख धरोहर स्थल क्षेत्र भी प्रभावित हुए हैं।
- ओडिशा में पुरी और कर्नाटक में हम्पी ग्लोबल वार्मिंग के परिणामस्वरूप उत्पन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण धरोहर स्थलों के क्षतिग्रस्त होने के कुछ नवीनतम उदाहरण पेश करते हैं।

(ख) विरासत स्थल अतिक्रमण : कई प्राचीन स्मारकों का स्थानीय निवासियों, दुकानदारों और स्मारिका विक्रेताओं द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है।

- इन संरचनाओं और स्मारकों या आसपास की स्थापत्य शैली के बीच कोई सामंजस्य नहीं है।
- दृष्टांत के लिये, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की 2013 की रिपोर्ट के अनुसार ताजमहल परिसर खान–ए–आलम बाग के निकट अतिक्रमण का शिकार पाया गया।

(ग) उत्खनन स्थलों का दोहन : विकास गतिविधियों ने भारत में कलाकृतियों के समृद्ध भंडार वाले कई पुरातात्त्विक स्थलों का दोहन किया है।

- इसके अतिरिक्त, विकासात्मक परियोजनाओं के कार्यान्वयन से पूर्व सांस्कृतिक संसाधन प्रबंधन का कोई प्रावधान नहीं है, जो समस्या को गहन करता है।

(घ) विरासत स्थलों के लिये डेटाबेस का अभाव : भारत में धरोहर संरचनाओं के राज्य वार वितरण के साथ एक राष्ट्रीय स्तर के पूर्ण डेटाबेस का अभाव है।

- हालाँकि 'इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज' (INTACH) ने 150 शहरों में लगभग 60,000 इमारतों को सूचीबद्ध किया है, लेकिन यह मामूली प्रयास ही माना जा सकता है जबकि देश में 4000 से अधिक धरोहर कस्बे और शहर मौजूद हैं।

(ङ) मानव संसाधन की कमी : स्मारकों की देखभाल और संरक्षण गतिविधियों के लिये कुशल एवं सक्षम मानव संसाधन की पर्याप्त संख्या की कमी ASI जैसी एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी समस्या है।

विरासत संरक्षण से संबंधित सरकार के प्रयास

- राष्ट्रीय स्मारक और पुरावशेष मिशन (National Mission on Monuments and Antiquities& NMMA), 2007.

- **धरोहर गोद लें** : अपनी धरोहर, अपनी पहचान परियोजना'' (Adopt a Heritage% Apni Dharohar] Apni Pehchaan* Project)
- प्रोजेक्ट मौसम

भविष्य की राह

- उत्खनन और संरक्षण नीति की पुनर्कल्पनाः प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ बदलते परिदृश्य के आलोक में ASI को अपनी उत्खनन नीति को अद्यतन करने की आवश्यकता है।
- फोटोग्रामेट्री एवं 3D लेजर स्कैनिंग, LiDAR और उपग्रह रिमोट सेंसिंग सर्वेक्षण जैसी नई प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिये।
- 'स्मार्ट सिटी, स्मार्ट हेरिटेज': सभी बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं के लिये धरोहर प्रभाव आकलन (Heritage Impact assessment) पर विचार करना आवश्यक है।
- धरोहर पहचान और संरक्षण परियोजनाओं (Heritage Identification and Conservation Projects) को शहर के मास्टर प्लान से जोड़ने और स्मार्ट सिटी पहल के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता है।
- **संलग्नता बढ़ाने के लिये अभिनव रणनीतियाँ** : ऐसे स्मारक जो बड़ी संख्या में आगंतुकों को आकर्षित नहीं करते हैं और सांस्कृतिक धार्मिक रूप से संवेदनशील नहीं हैं, सांस्कृतिक एवं विवाह कार्यक्रमों आदि के आयोजन स्थल के रू॰ में उपयोग किये जा सकते हैं, जो निम्नलिखित दोहरे उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं :
- संबंधित अमूर्त धरोहर का प्रचार।
- ऐसे स्थलों पर आगंतुकों की संख्या को बढ़ाना।
- कॉर्पोरेट धरोहर उत्तरदायित्व (Corporate Heritage Responsibility) कंपनियों को उनके कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के एक अंग के रूप में स्मारकों के पुनरुद्धार और संरक्षण के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- **जलवायु कार्रवाई के साथ धरोहर संरक्षण को संबद्ध करना** : धरोहर स्थल जलवायु संचार और शिक्षा के अवसरों के रूप में कार्य कर सकते हैं। इसके साथ ही, बदलती जलवायु स्थितियों के संबंध में पिछली प्रतिक्रियाओं को समझने के लिये ऐतिहासिक स्थलों एवं अभ्यासों पर शोध से अनुकूलन एवं शमन योजनाकारों को ऐसी रणनीतियाँ विकसित करने में मदद मिल सकती है जो प्राकृतिक विज्ञान और सांस्कृतिक विरासत को एकीकृत करती हैं।
- उदाहरण के लिये, माजुली द्वीप के समुदायों जैसे तटीय और नदीवासी समुदाय सदियों से बदलते जल स्तर के साथ रह रहे हैं और इसके अनुकूल बन रहे हैं।

समावेशी शिक्षा

समावेशी शिक्षा उस शिक्षा को कहते हैं जिसमें सामान्य विद्यालय में बाधित एवं सामान्य बालकों को एक ही साथ रख कर शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया जाता है। समावेशी शिक्षा अपंग बालकों की शिक्षा सामान्य स्कूल तथा सामान्य बालकों के साथ कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की ओर इंगित करती है। यह शारीरिक तथा मानसिक रूप से बाधित बालकों को सामान्य बालकों के साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा प्राप्त करना विशिष्ट सेवाएँ देकर विशिष्ट आवश्यकताओं के प्राप्त करने के लिए सहायता करती है। इस ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और तकनीकी दक्षता वाले 21वीं सदी के भारत की अस्मिता और उसके विश्व गुरू बनने की प्रक्रिया एक सत्त् एवं समावेशी शिक्षा के माध्यम से सम्भव हो सकेगी। इस सन्दर्भ में भारत की नई शिक्षा नीति 2020 महत्वपूर्ण कदम साबित होने जा रहा है। शिक्षा मानवीय क्षमताओं के विकास का प्रमुख साधन हैं। शिक्षा के माध्यम से एक समावेशी एवं न्याय संगत समाज का निर्माण करके राष्ट्र का संतुलित और सम्पोषणीय विकास सुनिश्चित किया जाता हैं। सुशिक्षित व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की प्रगति का संवाहक होता है, जबकि अशिक्षित या अर्ध–शिक्षित व्यक्ति राष्ट्रीय विकास में बाधक बन रहे हैं।

भारत की प्राचीन ज्ञान परम्परा और आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली (प्रतीची एवं प्राची) के संगम के साथ नई शिक्षा नीति 2020 वैश्विक पटल पर भारत की मजबूत उपस्थिति दर्ज काने में सफल साबित होगी। एक समय था, जब भारतवर्ष की समग्र शिक्षा प्रणाली का डंका पूरे विश्व में बजता था। भारत में ज्ञानार्जन हेतु दूर–दूर से लोग आया करते थे। उत्तर मंक तक्षशिक्षा, पूर्व में नालंदा और विक्रमशिला, सौराष्ट्र में वल्लभी तथा दक्षिण में कांथालूरसाला ऐसे संस्थान रहे हैं, जिनमें डिग्रीधारी नहीं, बल्कि ज्ञानवान, विवेकी, साहसी, संतोषी, उद्यमी और आत्मनिर्भरवादी पथ तैयार किये जाते थे और विभिन्न विषयों पर गहन अनुसन्धान होते रहे है तथा आज भी उस क्षेत्र में शोधों की आवश्यकता है।

संदर्भ सूची :

1. पाठक, डॉ. जगन्नाथ, 2000 ई., आधुनिक संस्कृत साहित्य का इतिहास, उ.प्र. संस्कृत संस्थान प्रकाशन, लखनऊ।
2. द्विवेदी, डॉ. कपिल देव, 2004 ई., संस्कृत साहित्य का इतिहास, चौखम्बा संस्कृत संस्थान प्रकाशन, वाराणसी।
3. उपाध्याय, डॉ. बलदेव, 1958 ई., भारतीय संस्कृत साहित्य का इतिहास, काशी विश्वविद्यालय, वाराणसी।
4. तोमर, लज्जाराम, शैक्षिक चिन्तन, 2019, विद्याभारती संस्कृति शिक्षा संस्थान, कुरूक्षेत्र, हरियाणा।
5. पाण्डेय, के.पी., शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार, 2009, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी।
6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (हिन्दी संस्करण), भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. भारतीय उपनिषद, चौखम्बा संस्कृत संस्थान प्रकाशन, वाराणसी।
8. भारतीय संविधान, भारत सरकार, नई दिल्ली।